न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान जयप्रकाश बनाम भागमल आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 87 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.07.2023	पत्रावली स्थगन प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। रोही मौजा बड़विराना तहसील नोहर के खाता सं0 276/254 की कुल 16.2120 है0 भूमि पूर्व में सायलान के दादा मोमन पुत्र बस्ती राम के नाम दर्ज थी गैर सायलान सं0 1 ता 4 के पिता व दादा ने उक्त वाद भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। वादग्रस्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6 ता 23 का भी हक हिस्सा है तथा वादग्रस्त भूमि का हक हिस्सा दर्ज करवाने का अपीलाण्ट हकदार है। जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में मोमन के 7 वारिसान का नाम बतौर खातेदार खाता सं0 321 से 322 में दर्ज है तथा मिसल बन्दो बस्त में अकेले हीरा पुत्र मोमन का नाम दर्ज है जब उक्त दस्तावेजो से भली भांति साबित तथा कि उक्त भूमि भू–प्रबन्धक विभाग ने हिरा वल्द मोमन के कतई गलत दर्ज की है केवल पूर्व इन्द्राजात को ही दर्ज करना था जिसके मुताबिक मोमन के 7 वारिसान ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे। मातहत अदालत ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील में दिनांक 13.04.2023 को जारी किया स्थगन आदेश विधि सम्मत है। इसे ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावे। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलाण्ट ने समस्त कथन मिथ्या किये हैं। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी उतरदाता के दादा हीराराम पुत्र मोमनराम जाति जाट की संवत 2012 से पहले की नोतोड करदा भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ उस वक्त वादग्रस्त भूमि हीराराम के कब्जा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्त में थी। नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का 5 (43) टैनेन्ट क परिभाषा के अनुसार वादग्रस्त भूमि का हीराराम खातेदार हो चुका था। इस भूमि में उसके पुत्र तुलछाराम व भागमल उसकी जगह खातेदार कातश्कार हुए तथा तुलछाराम के फौत होन के बाद उतरदाता रेस्पोडेण्टगण खातेदार काश्तकार हुए। अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है। स्थगन आदेश को खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बहस में आये तथ्यों के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के पूर्वज हीरा वल्द मोमन कौम जाट साकिन बड़बिराना के खुदकाश्त कब्जा काश्तकारी भूमि थी जो हीरा की फौतदगी के बाद उनके वारिसान गैरसायलान के कब्जा काश्त एवं खतोदारी काश्तकार चली आ रही है। रेस्पोडेण्ट प्रश्गनत भूमि के रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अनतर्गत दावा भी विचाराधीन है। अधिकारें की घोषणा मूल दावा के अन्तिम निर्णय में तय होना है। अपीलाण्ट ने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई प्रविष्टयों गलत बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा है अथवा नहीं यह तथ्य मूल वाद में तय होना है। इस बीच वादग्रस्त भूमि को रहन बैय आदि द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में हो जाता है तो उभयपक्ष के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.04.2023 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

26/7/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़